विषय-सूची

क्र. सं	विवरण	पृष्ठ सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1
III	कार्य	2
IV	शक्तियाँ	2-3
V	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र	3-4
VI	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	4-5
VII	योजना समिति - गठन एवं कार्य	5-6
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना -2021	6-9
IX	सिन्हावलोकन का वर्ष - 2017-18	9
	क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 का कार्यान्वयन	9
	i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 की समीक्षा	9-10
	ii) रा.रा.क्षे में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल ज़िलों के लिए नियोजन	10
	iii) कार्यात्मक योजना	10-11
	iv) उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करना	11
	v) रा.रा.क्षे. के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	12
	vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्बद्ध्ता	12-14
	क) रा.रा.क्षे. में सड़क नेटवर्क	12-13
	ख) रा.रा.क्षे. में रेल नेटवर्क	14
	i) क्षेत्रीय त्वरित ट्रांज़िट प्रणाली	14
	ii) दिल्ली एवं मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एमआरटीएस	14
	ख) बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ	14-27
	अनुलग्नक I : रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा ऋण सहायता प्राप्त प्रक्रियाधीन अवसंरचना परियोजनाओं की सूची	17-27
	ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	27-30
	घ) i) वित्तीय संसाधन	30-31
	ii) संसाधन संग्रहण	31-32
	iii) लेखों का लेखा परीक्षण	32
	iv) क्षमता विकास सम्बंधी प्रयास-पहल	32-33
	ङ) नई पहल	33
	च) प्रशासन एवं सतर्कता	33-35
	i) प्रशासन	33-34
	ii) सतर्कता	34
	iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)	34
	iv) संगठनात्मक संरचना	35

I. औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र के बेतरतीब विकास से बचा जा सके ।

II. बोर्ड का गठन और सदस्यता

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडीVI दिनाँक 22.11.2017 के अनुसार बोर्ड के वर्तमान गठन का ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य	अध्यक्ष
2.	हरियाणा के मुख्यमंत्री	सदस्य
3.	राजस्थान के मुख्यमंत्री	सदस्य
4.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	सदस्य
5.	लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
6.	एनसीटी-दिल्ली के मुख्यमंत्री	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, एनसीटी-दिल्ली सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

सहयोजित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) *क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना ।*

(ख) *प्रत्येक सहभागी राज्य और संघशासित प्रदेश द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाएं और परियोजना योजनाएं तैयार कराने की व्यवस्था करना।*

(ग) *सहभागी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के जरिए क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं को लागू करने और उनके कार्यान्वयन के कार्यों का समन्वयन करना।*

(घ) *क्षेत्रीय योजना में निर्दिष्ट चरणों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उप-क्षेत्रों में परियोजना तैयार करने, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा विकास की चरणबद्धता के संबंध में सहभागी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा उपयुक्त तथा व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करना सुनिश्चित करना।*

(ड) *केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों के साथ-साथ अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था और उनका निरीक्षण करना।*

IV. शक्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित है:

(क) *कार्यात्मक योजनाओं तथा उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार, लागू और कार्यान्वित करने के संबंध में सहभागी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से रिर्पोट और सूचना मांगना;*

(ख) *यह सुनिश्चित करना कि कार्यात्मक योजना अथवा उप-क्षेत्रीय योजना, जो भी हों, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप तैयार, लागू और कार्यान्वित हों;*

(ग) *क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के चरणों को निर्दिष्ट करना;*

(घ) *क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उप-क्षेत्रीय योजना और परियोजना के कार्यान्वयन*

की समीक्षा करना;

(ड) *व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, प्राथमिकता प्राप्त विकास की आवश्यकता और उन परियोजनाओं, जिन्हें उपयुक्त समझे, के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता मुहैया कराना;*

(च) *संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे शहरी क्षेत्र का चयन, उसकी अवस्थिति, जनसंख्या तथा विकास की संभावना को ध्यान में रखकर करना जिसे क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता हो; और*

(छ) *समिति को ऐसे अन्य कार्य सौंपना जिसे बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।*

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (एफ)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है । उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

इसके बाद, एनसीआर में कुछ नए क्षेत्रों/ज़िलो का सम्मिलन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ ज़िले तथा राजस्थान का ज़िला भरतपुर	भारत सरकार की दिनांक 1.10.2013 की अधिसूचना के द्वारा
हरियाणा राज्य के जींद एवं करनाल ज़िले तथा उत्तर प्रदेश का ज़िला मुज़फ्फरनगर	भारत सरकार की दिनांक 25.11.2015 की अधिसूचना के द्वारा
उत्तर प्रदेश का ज़िला शामली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिनांक 4.12.2017 को सम्पन्न अपनी 37वीं बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य के शामली ज़िले के एनसीआर में सम्मिलन के मुद्दे पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया। इस सम्बंध में अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।

इन अधिसूचनाओं एवं अनुमोदनों के पश्चात, रा.रा.क्षे. का क्षेत्र करीब 55,098 वर्ग किमी है जिसकी जनसंख्या लगभग 581.5 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है।

उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित है:

उप क्षेत्र	जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गाँव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्झर, पानीपत, पलवल, भिवानी (चर्खी दादरी सहित), महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल	25,327
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुज़फ्फरनगर और शामली*	14,841
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483
	कुल	**55,098**

*शामली की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है

VI. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चुने ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 9 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र है, जो इस प्रकार हैं:

i. हरियाणा में हिसार
ii. हरियाणा में अम्बाला
iii. उत्तर प्रदेश में बरेली
iv. उत्तर प्रदेश में कानपुर
v. राजस्थान में कोटा
vi. राजस्थान में जयपुर
vii. मध्य प्रदेश में ग्वालियर
viii. पंजाब में पटियाला
ix. उत्तराखंड में देहरादून

क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकास होने पर वह कम विकसित समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित कर सकता है, के लिए अंतर्रोधक बनना; और

ख) क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा" ।

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ख) सहयोजित सदस्य

I. वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)

II. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवास और शहरी विकास निगम

III. संयुक्त सचिव (यू.टी.), वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

IV. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार

V. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ग) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

9 (1) समिति के कार्यों में समिति बोर्ड की सहायता करेगी:

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएँ तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में समन्वयन करना।

(ख) उप क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजनाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं।

(2) यह समिति, जैसा जरूरी समझे बोर्ड को किसी उप क्षेत्रीय योजना अथवा किसी परियोजना योजना में संशोधन अथवा आशोधन करने की भी सिफारिश कर सकती है।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करेगी जो इसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं।

VIII. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिदृश्य को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय योजना तैयार की जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने, संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों, परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढ़ाँचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया

करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने के लिए भू-उपयोग पैटर्नों के साथ पूर्णत: एकीकृत, कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ङ) युक्तिसंगत भू-उपयोग ढाँचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था । क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार वर्ष 2011 के लिए अनुमानित आबादी	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली उप क्षेत्र	179.90	167.88
2	हरियाणा उप क्षेत्र	117.55	110.31
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	150.83	145.76
4	राजस्थान उप क्षेत्र	37.91	36.74
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**486.19**	**460.69**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

- प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त उपग्रह चित्रों समेत) से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्तिसंगत भू-उपयोग निर्धारित करना।
- आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास नोडो के रूप में विकास ।
- क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंक और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।
- दिल्ली के चारों ओर परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गो और आरबिटल रेल गलियारे का निर्माण।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्योगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और बुनियादी गांवों को शामिल करते हुए एक छःस्तरीय बस्ती पद्धति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	**मेट्रो केन्द्र**
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ
2	गुडगाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ

II	**क्षेत्रीय केन्द्र**
1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारूहेरा-बावल
6	हापुड़-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा
8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहाँपुर-नीमराणा-बेहरोड़

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों को एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा उनके संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं और महायोजना/विकास योजना इत्यादि जैसी विभिन्न पदानुक्रम योजनाओं द्वारा विस्तारित किया जाना है। क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

इसके अलावा, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसे भौतिक आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि के लिए एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों की संबंधित एजेंसियों द्वारा नए और अभिनव दृष्टिकोणों को अपनाया जाना आवश्यक है। भवन निर्माण उपनियमों में भूजल पुनर्भरण और जल संचयन को एकीकृत करने की आवश्यकता है और एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा जल पुनर्भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विभिन्न नगर नियोजन/शहरी विकास/शहरी सुधार अधिनियमों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्रीय योजना-2021 ने एनसीआर के तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप जल, वन और जैव विविधता जैसे घटते प्राकृतिक संसाधनों के लिए चिंता पर प्रकाश डाला है।

IX. सिंहावलोकन का वर्ष: 2017-2018

वर्ष 2016-17 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रा.रा.क्षे.यो.बो. ने एनसीआर की संघटक राज्य सरकारों/एजेंसियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के द्वारा विभिन्न पहल/कार्रवाइयां की हैं।

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा का कार्य प्रारंभ किया। ड्राफ्ट संशोधित आरपी-2021 (डीआरआरपी-2021) को एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि के परामर्श से तैयार किया गया था और एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के प्रावधानो के अंतर्गत वर्ष 2014 में इसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने डीआरआरपी-2021 पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ&सीसी) मंत्रालय से टिप्पणियों की मांग की गई थी।

विचार-विमर्श के कई दौर के पश्चात, एमओईएफ&सीसी ने दिनांक 11.01.2017 के पत्र द्वारा डीआरआरपी-2021 के 'अध्याय 14: पर्यावरण' और 'अध्याय 17: क्षेत्रीय भू-उपयोग' पर टिप्पणियाँ प्रदान की। दिनांक 04.12.2017 को आयोजित बोर्ड की आगामी बैठक (37वें) में एमओईएफ&सीसी के टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बोर्ड ने फैसला किया था कि एनसीआर प्रतिभागी राज्य एमओईएफ&सीसी की टिप्पणियों पर अपने विचार/सुझाव प्रदान कर सकते हैं और इस मामले पर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जा सकता है ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में दिए गए प्रावधान एवं बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण मे, क्षेत्रीय योजना-2021 की दूसरी समीक्षा का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की गई है और दो बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय योजना-2021 के क्षेत्रों/अध्यायों की समीक्षा करने के लिए चौदह उप-समूह गठित किए गए हैं। एनसीआर प्रतिभागी राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ उक्त अध्ययन समूहों का हिस्सा हैं। समीक्षा प्रक्रिया प्रगति पर है।

ii) एनसीआर में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल जिलों के लिए नियोजन

एनसीआर में छः नए ज़िलों (दिनांक 1.10.2013 के अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले; दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य के जिंद और करनाल जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले) के सम्मिलन के पश्चात, क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी का काम प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत एनसीआर के अतिरिक्त जिलों के लिए क्षेत्रीय भूमि उपयोग की रचना का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), भारत सरकार को सौंपा गया है।

वर्तमान भू उपयोग मानचित्र एनआरएससी द्वारा तैयार किए गए हैं और संबंधित एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। शामली जिले की अधिसूचना के पश्चात, उक्त कार्य में शामली को भी सम्मिलित किया जाएगा।

iii) कार्यात्मक योजना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 16 में प्रावधान है कि *"क्षेत्रीय योजना के प्रवर्तन में आ जाने के पश्चात् बोर्ड, समिति की सहायता से, उतनी कार्यात्मक योजनाएं तैयार कर सकेगा, जितनी भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हों ।"*

उपरोक्त के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2017-18 में, एनसीआरपीबी ने प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित संस्थानों (यानी एमएसएमई विकास संस्थान और एनआईईएसबीयूडी) को सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए कार्यात्मक योजना का मसौदा टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है । प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों को शामिल कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और बोर्ड की वैधानिक योजना समिति के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

iv) उपक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अंतर्गत *"प्रत्येक भागीदार राज्य के भीतर उप-क्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना राज्य का तैयार करनी होगी तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के भीतर उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना संघ शासित प्रदेश को तैयार करनी होगी"*।

उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित कर वेबसाइट (www.awas.up.nic.in) पर अपलोड कर दिया है।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा की उपक्षेत्रीय योजना-2021 को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसे वेबसाइट (www.tcpharyana.gov.in) पर अपलोड भी किया जा चुका है। तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ&सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 को राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर जिला) की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया है तथा उसे वेबसाइट (www.urban.rajasthan.gov.in/udh) पर अपलोड किया है ।
रा.रा.क्षे. दिल्ली	बोर्ड ने तय किया है कि दिल्ली की महायोजना-2021, जो कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाई गई है, को ही दिल्ली की उपक्षेत्रीय योजना मान लिया जाए । तथापि, इस महायोजना में अंतर्राज्यीय सम्बद्धता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

दिनांक 01.10.2013 एवं 24.11.2015 की अधिसूचनाओं द्वारा सम्मिलित किए गए नए ज़िलों के लिए उपक्षेत्रीय योजना निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

v) एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समूह (पीएसएमजी), विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य स्तरीय संचालन समिति। ब्यौरा निम्नलिखित है:

- 04.12.2017 को आयोजित बोर्ड की एक बैठक (37वीं)
- 17.11.2017 को आयोजित योजना समिति की एक बैठक (66वीं)
- 14.11.2017 को आयोजित पीएसएमजी-1 की एक बैठक (55वीं)
- 23.03.2018 को आयोजित पीएसएमजी-2 की एक बैठक (13वीं)
- राज्यस्तरीय संचालन समिति की दो बैठकें-एनसीटी दिल्ली (28.09.2017) और हरियाणा (19.01.2018)
- एनसीआर सेल उ.प्र. एवं उ.प्र. सरकार के साथ एक समीक्षा बैठक उ.प्र. उपक्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए (16.10.2017)

इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:

- अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी सड़कों/लिंकेज से संबंधित मुद्दे: सचिव (एचयूए), भारत सरकार की अध्यक्षता में 12.2.2018 को आयोजित बैठक।
- राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए एनसीजेड और माननीय एनजीटी के आदेश से संबंधित मुद्दे: अवर सचिव (डीएंडसी), एमओएचयूए, भारत सरकार की अध्यक्षता में 22.03.2018 को आयोजित बैठक।

vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी: मुख्य परियोजनाएँ

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क तंत्र

क्षेत्रीय योजना-2021 क्षेत्र में अनुमानित विकास को प्रोत्साहित, मार्गदर्शित करने और बनाए रखने और एनसीटी-दिल्ली और क्षेत्रीय कस्बों के बीच उच्च यातायात बातचीत को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव करता है। एनसीआर में प्रस्तावित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

i) प्राथमिक सड़क तंत्र
ii) माध्यमिक सड़क नेटवर्क
iii) तृतीयक सड़क नेटवर्क

प्राथमिक सड़कें एनसीटी-दिल्ली के साथ क्षेत्रीय/प्राथमिक शहरों को जोड़ने वाली रेडियल सड़कें हैं। क्षेत्रीय योजना-2021 ने मौजूदा रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और पांच रेडियल सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) का विकास सीएनसीआर कस्बों तक (यानी एनएच-1 दिल्ली से कुंडली तक, एनएच-2 दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, एनएच-8 दिल्ली से गुड़गांव तक, एनएच-10 दिल्ली से बहादुरगढ़ तक और एनएच-24 दिल्ली से गाजियाबाद तक) एक्सप्रेसवे मानकों पर प्रस्तावित किया है।

पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, अर्थात्, एनएच-1, एनएच-2, एनएच-8, एनएच-10 और एनएच-24 (पुरानी संख्याएं) एनसीटी दिल्ली में रिंग रोड पर मिलती हैं जिसके परिणामस्वरूप केवल रिंग रोड पर ही नहीं बल्कि दिल्ली में प्रमुख सड़कों पर भी भारी भीड़ होती है। बाई-पास प्रदान करने के लिए, क्षेत्रीय योजना-2021 में दिल्ली के आसपास परिधीय एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए थे। दिल्ली के पश्चिमी परिधि में एनएच-10 और एनएच-8 के माध्यम से दक्षिण में पलवल में उत्तर में एनएच-2 को कुंडली में एनएच-1 को जोड़ने वाली इस बाईपास रोड का पश्चिमी आधा पश्चिमी परिधीय (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) कहा गया है। दिल्ली के पूर्वी किनारे पर एनएच-24 के माध्यम से दक्षिण में पलवल में उत्तर में एनएच-2 में कुंडली में एनएच-1 को जोड़ने वाली इस बाईपास रोड का पूर्वी आधा पूर्वी परिधीय (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल) एक्सप्रेसवे के रूप में नामित किया गया है (ईपीई)।

- एचएसआईआईडीसी, सरकार द्वारा डब्ल्यूपीई का कार्यान्वयन किया जा रहा है। हरियाणा और पलवल से मानेसर तक डब्ल्यूपीई का हिस्सा 2016 में शुरू किया गया था। शेष हिस्से के लिए, एचएसआईआईडीसी जून, 2018 तक पूरा करना सुनिश्चित करना है।
- ईपीई और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा रहा है।

माध्यमिक सड़क नेटवर्क में क्षेत्र के प्राथमिक शहरों और क्षेत्र के प्राथमिक सड़क नेटवर्क के साथ छोटे शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख जिला सड़क शामिल हैं। अनुमानित यातायात और आसपास के क्षेत्रों आवागमन के आधार पर ये सड़कें दो लेन/मध्यवर्ती/एकल लेन के होने का प्रस्ताव है।

तृतीयक सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव है कि सभी गांवों, कार्यस्थलों, छोटे व्यवसाय, रोजगार केंद्र, आवासीय क्षेत्रों और कृषि/वन क्षेत्रों को पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। इसमें उप-क्षेत्रीय कस्बों और द्वितीयक सड़क नेटवर्क को जोड़ने वाली सिंगल/इंटरमीडिएट/डबल लेन मेटल वाली सड़कों का समावेश होगा।

ख) एनसीआर में रेल नेटवर्क

क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि केवल सड़क नेटवर्क का विकास एनसीआर में परिवहन मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए एक सहायक रेल नेटवर्क विकसित करना होगा। इन नेटवर्कों की प्रणाली को एक एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

i) क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस)

क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि प्राथमिक क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को विशिष्ट गलियारों की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित लाइनों के माध्यम से एक दूसरे के बीच और दिल्ली के साथ क्षेत्रीय कस्बों को जोड़ना चाहिए और इसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय योजना-2021 की सिफारिशों के अनुपालन में, बोर्ड ने एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना तैयार की, जिसमें तेज़ एवं कुशल आठ आरआरटीएस कॉरीडोर यथा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-रेवारी-अलवर, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लबगढ़-पलवल, गाजियाबाद-खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक, गाजियाबाद-हापुड़ और दिल्ली-शाहदरा-बारौत की एनसीआर के यात्रियों के लिए सिफारिश गई है। आठ आरआरटीएस कॉरीडोर में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा तीन प्राथमिककृत गलियारों पर कार्य किया जा रहा है।

1. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (लगभग 82 किमी)
2. दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (लगभग 111 किमी)
3. दिल्ली-गुड़गांव-रेवारी-अलवर (लगभग 180 किमी)

ii) दिल्ली एवं सीएनसीआर शहरों के लिए एमआरटीएस

क्षेत्रीय योजना-2021 ने प्रस्तावित किया कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को सीएनसीआर शहरों तक बढ़ाया जाएगा और दिल्ली में अपग्रेड किए गए रिंग रेलवे और प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। उपयुक्त एकीकृत फीडर रेल/सड़क सेवाओं के साथ एमआरटीएस और आरआरटीएस की योजना बनाई जानी चाहिए। एमआरटीएस का विस्तार गुड़गांव, गाजियाबाद-वैशाली, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे सीएनसीआर शहरों से जुड़ा हुआ है और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कार्यान्वयन में है।

ख. **<u>बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं</u>**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (ड) के तहत बोर्ड व्यापक योजनाओं का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता

उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सीएमए के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित), काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75% ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तथा बाकी राशि उन्हे स्वयं वहन करनी होती है ।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान, दिनांक 14.11.2017 को सम्पन्न पीएसएमजी-I की 55वीं बैठक में बोर्ड ने ₹1348.30 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 54 बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं के लिए ₹974.39 करोड़ ऋण के रूप में स्वीकृत किया ।

अब तक, बोर्ड ने ₹30348 की अनुमानित लागत वाली 351 अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमे से ₹14318 की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है । मार्च, 2018 तक बोर्ड ने ₹10519 जारी कर दिए है।

पूर्ण तथा प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के साथ उपक्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका-1:राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-जयपुर समेत]	प्रक्रियाधीन	53	3538	2533	1027
		पूर्ण	30	1679	631	595
	उपयोग		**83**	**5217**	**3164**	**1622**
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	प्रक्रियाधीन	7	7104	2586	1765
		पूर्ण	50	2018	882	644
	उपयोग		**57**	**9122**	**3467**	**2409**
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार समेत]	प्रक्रियाधीन	30	1840	1257	789
		पूर्ण	171	13257	5854	5190
	उपयोग		**201**	**15097**	**7111**	**5979**
4	एनसीटी- दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	102	76	20
		पूर्ण	2	521	310	310

	उपयोग		**3**	**623**	**386**	**330**
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	0	0	0	0
		पूर्ण	2	79	46	46
	उपयोग		**2**	**79**	**46**	**46**
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	1	76	42	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उपयोग		**5**	**210**	**143**	**133**
	कुल	प्रक्रियाधीन	**92**	**12660**	**6494**	**3633**
		पूर्ण	**259**	**17688**	**7824**	**6886**
	कुल जोड		**351**	**30348**	**14318**	**10519**

अनुलग्नक-1 के अनुसार, बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 351 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 259 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 92 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। स्वीकृत ऋण की दृष्टि से परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार क्रमश: चित्र-1 में दिया गया है ।

चित्र-1

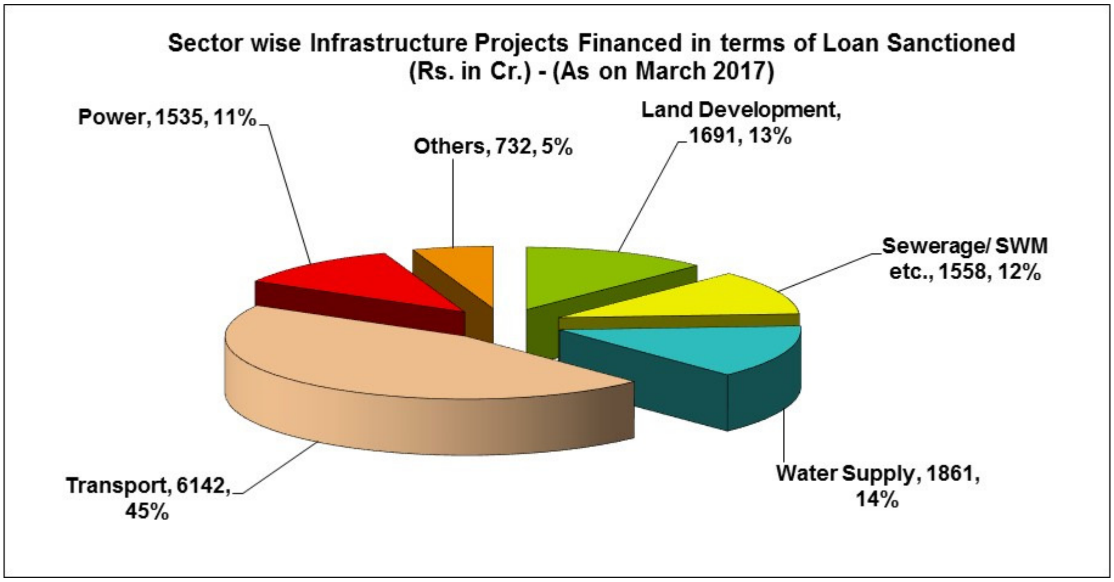

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च 2018 तक की स्थिति)

(□□ करोड में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक रुप से जारी ऋण की राशि
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना (15 संख्या)					
1	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	24.10	13.76	10.88
2	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-12	40.37	16.42	13.21
3	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक मार्ग का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ मई-15	27.66	20.75	16.30
4	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फारुखनगर-गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ जनवरी-16	115.11	86.33	59.53
5	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली - गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	दिस-13/ मई-2015	83.53	62.65	28.26
6	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर एल सी 79 पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	56.04	23.15	9.26
7	पानीपत जिले में दिल्ली वाटर कैरियर लिंक के साथ एलसी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	32.58	11.18	4.47
8	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	29.46	11.29	4.52
9	हिसार, डाबरा चौंक में हिसार सदलपुर रेलवे लाइन एवं पुराने डीएचएस क्रासिंग (आरडी 164.60) पर एलसी 3 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	जन-16	74.67	56.00	22.40
10	रोहतक शहर में छोटू राम चौक से पुराने	लोनिवि(बीएंडआर),	जन-16	152.83	114.62	45.85

	बस स्टैंड (74.00 से 75.86 किमी) तक रा.रा.10 परऐलीवेटेड रोड का निर्माण	हरियाणा				
11	एचएसआईडीसी, हरियाणा नियंत्रित प्रवेश वाले कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे का विकास (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी)	एचएसआईआईडीसी	जन-16	457.81	343.35	324.68
12	दिल्ली के एलसी नं 564 में 2 लेन आरओबी का दिल्ली रेलवे लाइन पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	47.78	23.41	8.19
13	मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 561 में दिल्ली पलवल जिले में पलवल बामनी खेरा हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	48.88	22.06	7.72
14	सोनीपत जिले में आईटीआई चौक से सफियाबाद गांव से सोनीपत जिले सीमा तक 2.310 से 14.800 तक मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला रोड का उन्नयन, सोनीपत	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	101.81	76.36	30.54
15	रेवाड़ी-नारनौल रोड से रेवाड़ी झज्जर से रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिन्द्रगढ़ रोड के माध्यम से 3 रोड सहित लिंक रोड का निर्माण आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी	लोनिवि(बीएंडआर), हरियाणा	नव-17	176.00	132.00	52.80
				1468.63	**1013.33**	**638.61**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं (10 संख्या)					
16	कोसली, जिला रेवाडी के गांव कोसली, भाकली और कोसली के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करना	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	8.70	6.53	5.22
17	गणौर शहर, जिला सोनीपत में एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	5.64	4.08	--
18	खारखोदा शहर, जिला सोनीपत एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	4.54	3.26	--
19	समलखा शहर, जिला पानीपत में तृतीयक उपचार के बाद एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	7.14	5.19	--

20	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) के उन्नयन के बाद क्रमशः कोस्ली रोड और सम्प्ला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने का कार्य, झज्जर शहर	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	11.00	7.91	--
21	पलवल जिले के होडल शहर में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु बची हुई कॉलोनियों और नई अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज नेटवर्क और नालियों की टैपिंग	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	4.66	3.50	--
22	कलानौर शहर, ज़िला रोहतक में बचे हुए क्षेत्रों और नई अनुमोदित बस्तियों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी के नवीनीकरण एवं तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	8.26	6.19	--
23	संपला शहर में बचे हुए क्षेत्रों और हाल ही में अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और इसके बाद तृतीयक उपचार	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	7.93	5.95	--
24	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी में संशोधन, एसटीपी सोहना से नूह ड्रेन तक गंदा पानी निपटान और बैलेंस अनुमोदित कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम के साथ-साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	13.66	10.24	--
25	बेरी शहर के अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और झज्जर जिले के बेरी में मौजूदा पानी स्थिरीकरण तालाब के आधार पर बने 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर एसबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, क्लोरिनेशन	पीएचईडी हरियाणा	नव-17	9.28	6.96	--
				80.80	**59.80**	**5.22**
	जल क्षेत्र की परियोजनाएं (4 संख्या)					
26	सोहना कस्बे और रोजकामेओ औद्योगिक क्षेत्र, सोहना में जल आपूर्ति	पीएचईडी हरियाणा	नव-08	65.34	24.50	24.50
27	नलहर मेडिकल कालेज एवं नूह कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम	पीएचईडी हरियाणा	अग-11/मई-15	150.00	112.50	90.13
28	पटौदी और समीप के हैलीमंडी कस्बे और	पीएचईडी हरियाणा	नव-11/मई-15	41.15	30.86	23.88

	इसके समीपस्थ सात गांवों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि					
29	गुडगांव जिले के फारुखनगर कस्बे और पांच गावों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11/मई-15	13.90	10.43	6.78
				270.39	**178.29**	**145.29**
	विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं (1 संख्या)					
30	यूएचबीवीएन द्वारा हरियाणा के झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत सर्किलों में (आईपीडीएस के तहत) मीटरींग समेत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना	यूएचबीवीएन	नव-17	19.74	5.93	--
				19.74	**5.93**	
हरियाणा उपयोग (30)				**1839.56**	**1257.35**	**789.12**
	उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र					
	परिवहन सेक्टर परियोजनाएँ (2 संख्या)					
31	नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के मध्य मेट्रो सम्बद्ध्ता	जीएनआईडीए	जन-16	5503	1587	1130
32	जीडीए द्वारा गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन एलीवेटेड रोड (हिंडन) का निर्माण	जीडीए	जन-16	1147.60	700	420
				6650.60	**2287**	**1550**
	जल क्षेत्र परियोजनाएँ (1 संख्या)					
33	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मैन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मैन	जीएनआईडीए	अग-13	183.19	137.39	83.00
34	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और सम्बद्ध निर्माण कार्य	जीएनआईडीए	अग-13	121.48	87.16	63.00
				304.67	**224.55**	**146.00**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
35	इकोटेक--III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग-13	28.15	21.10	17.70
36	इकोटेक--II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग-13	21.17	15.87	14.36
				49.32	**36.97**	**32.06**
	उ.प्र. उप योग (6 संख्या)			**7004.59**	**2548.52**	**1728.06**
	राजस्थान उप क्षेत्र					
	जल क्षेत्र (7)					
37	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू	174.86	131.14	94.72

			2013			
38	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	16.46	12.35	4.95
39	राजगढ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	20.24	15.18	10.96
40	बहरोर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	26.02	19.51	7.80
41	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	40.69	30.52	11.86
42	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना खैरथल, अलवर जिला का पुनर्गठन	पीएचईडी राजस्थान	नव-17	36.26	27.19	--
43	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना किशनगढ़ बेस, अलवर जिला का पुनर्गठन	पीएचईडी राजस्थान	नव-17	21.0551	15.78	--
				335.59	**251.67**	**130.29**
	परिवहन क्षेत्र परियोजनाएँ (38)					
44	बारोड पर शाहजहांपुर रोड सीसी के विलेज पोर्टशन में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) का उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	22.78	17.08	--
45	एनएच-8 से पहाडी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक) अपग्रेडेशन सुदृढ़ीकरण और विकास पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.44	11.58	--
46	बेहरोर से भुमरिका रोड पर किलोमीटर 0/0 से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.51	10.13	--
47	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बासक्रिपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानाघाउदा-मुबारिकपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	56.48	42.36	--
48	तातारपुर चौराहा-शेओपुर खानपुर पर जोर सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य अहिर जाटभगोला अलीपुर	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	49.3	36.97	--

	रोड किलोमीटर 0/0 से 36/500					
49	पदिसल-जगता बसई-रट्टा खुर्द-बालन बसई-श्यामका-इस्माइलपुर-गंज-किशनगढ़बास सड़क	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	25.68	19.26	--
50	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्ज तिराया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.59	25.94	--
51	अलवर से मत्स्य विश्वविद्यालय, हलदेना वाया मदनपुरी भजीत नंगला चरण सड़क का उन्नयन (3.75 मीटर से 7.00 मीटर कैरिजवे)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	17.62	13.21	--
52	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन, सुदृढीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.6	25.95	--
53	3.00 से 7 मीटर तक 0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शेमला खुर्द) तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.45	6.33	--
54	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (बड़ौदामेओ गंधुरा लक्ष्मणगढ़) से 3.75 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.88	11.91	--
55	विजय मंदिर अलवर के घाटला-पदिसल और हरसोली रोड वाया खैरथल रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	42.42	31.81	--
56	दौसा तहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक कि.मी. 8/00 से 38/00 तक का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.31	13.73	--
57	दौसा-कुंडल-गुधा कटला बांदीकुई-बालाहेरी-मांडवार-घोरसराना-कथुमार रोड कि.मी. 74/00 से 102/00 एसएच-78(पुराना एमडीआर-48) पर उन्नयन,	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	31.42	23.56	--

	मजबूती और विकास कार्य।					
58	तहला मच्छारी रोड एसएच-25ए कि.मी. 0/0 से 23/500 पर मौजूदा पुलिया की चौड़ाई और सुदृढीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.12	6.09	--
59	तेहला राजगढ़ गढ़ी सवईराम रोड एसएच-25ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर, 0/0 से 4/500 तक चौडा करना 3.00 मीटर से 7.0/500 तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक 26/300 और 32/400 का सुदृढीकरण एवं चौडा करना	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	10.61	7.95	--
60	रोहरा से बाराभडकोल रेनी-माछरी रोड के माध्यम से नवीनीकरण और विकास कार्य कि.मी. 76/0 से 90/0 (एमडीआर-151)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.88	14.16	--
61	गोथ की चौकी बिगोटा रोड किलोमीटर 0/0 से 21/0 का उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	--
62	घाट के राजपुर बाड़ा वाया देवती कि.मी. 0/0 से 10/800 का उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	--
63	राजगढ़ से करोथ रोड कि.मी. 0/0 से 3/0 तक उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.74	4.3	--
64	3.0 मीटर से 7.0 मीटर किलोमीटर 0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़) तक सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.3	3.97	--
65	0 0 से 2/0 (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	3.54	2.65	--
66	3.0 मीटर से 7.0 मीटर कि.मी. 0/0 से 3/500 (एसएच-29ए से थाना) तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.12	4.59	--
67	किलोमीटर 0/0 से 3/500 (ए/आर से	पीडब्ल्यूडी,	नव-17	6.17	4.62	--

	घटरा) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	राजस्थान				
68	कि.मी. 0/0 से 3/300 (पालपुर से कंकराली रामपुर तक) 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.84	4.38	--
69	कि.मी. 0/0 से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	--
70	कि.मी. 0/0 से 2/0 (ए/आर से नारायणी माता मंदिर तक) 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	--
71	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से उदयपुरा), 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.3	9.97	--
72	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से भानोकार) तक 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.87	11.9	--
73	एलनपुर-बंसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	69.09	51.81	--
74	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर रोड एसएच-45 कि.मी.पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य 8/825 से 27/745 (चिदवाई-गोविंदगढ़ जिला सीमा अनुभाग तक)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	29.7	22.27	--
75	थानागज़ी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड किलोमीटर 99/0 से 120/200 का विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	28.87	21.65	--

76	नटनी का बारा मलखेरा-लक्ष्मणगढ़ कथुमार रोड (कथुमार बाई पास किलोमीटर 0/04 से 1/400 तक) में उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य, 25/0 से 61/0, एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुदीयान बरेदा कथुमार अनुभाग	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	41.16	30.87	--
77	महुवा-मांडवार-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड एसएच-35 किलोमीटर 60/000 से 70/0 (लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविंदगढ़ अनुभाग) पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.21	10.65	--
78	हरसोली-बिबिराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड किलोमीटर 45/0 से 57/200, 62/900 से 64/500 और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, मजबूती और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	23.99	17.99	--
79	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 से 40/0 किलोमीटर का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	48.33	36.24	--
80	अलीपुर-खेडी-खानपुर दग्रेन-पूर-निमलका-कालगांव-हिंगवाहेडा-तिजारा-फिरोजपुर-जिर्का रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34	25.5	--
81	तापकरा पर 0/0 से 7/500 तक तापुकारा पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.96	10.47	--
				824.68	618.39	0
	राजस्थान उप योग (45)			**1160.27**	**870.06**	**130.29**
	दिल्ली उप क्षेत्र					
	अन्य(1)					

82	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिली कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	20.00
	दिल्ली उपयोग (1)			**101.65**	**76.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	उ.प्र. सीएमए बरेली में परियोजनाएं					
	बरेली में भूमि विकास क्षेत्र (1)					
83	बरेली में राम गंगा नगर आवासीय स्कीम	बरेली विकास प्राधिकरण	दिस-04	99.37	37.00	37.00
	उ.प्र. सीएमए बरेली में परियोजनाएं (1)			**99.37**	**37.00**	**37.00**
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं (1)					
84	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए, ग्वालियर	नव-09	76.07	42.05	31.54
	सीएमए ग्वालियर में कुल परियोजनाएँ (1)			**76.07**	**42.05**	**31.54**
	राजस्थान में परियोजनाएं - सीएमए जयपुर					
	सीवरेज (1)					
85	जयपुर शहर, जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित	जेडीए	जन-2017	1582.06	1098.00	640.00
	परिवहन क्षेत्र की परियोजनाएँ (7)					
86	जयपुर शहर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी-211, गोनर रोड, डांतली पर विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊँचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	99.92	59.92	36.00
87	जयपुर में पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबरी टी-जंक्शन तक, मौजूदा झोतवाड़ा आरओबी के साथ साथ, 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	166.73	125.00	0.00
88	जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर एलसी-70 सीतापुर के स्थान पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	116.17	79.00	64.00
89	एलसी-200, बस्सी टाउन, जयपुर के	जेडीए	जन-2017	57.54	35.50	17.50

	स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण					
90	जयपुर में जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर एलसी-102/2ई जहोटा के स्थान पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	76.57	57.00	36.00
91	जयपुर में आनंद लोक और स्वपन लोक को जोड़ने के लिए पुल सं.107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-2017	29.56	22.00	13.00
49	सोडाला तिकोणीय-जंक्शन से अंबेडकर सर्किल, के पास एलआईसी कार्यालय तक एलीवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	जन-2017	249.49	187.00	90.00
				795.98	**565.42**	**256.50**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र जयपुर शहर में कुल परियोजनाएँ (8)			**2378.04**	**1663.42**	**896.50**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल			**2553.48**	**1742.47**	**965.04**
	योग			**12659.54**	**6494.64**	**3632.51**

(ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संघटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को 23 प्रक्रियाधीन और नई परियोजनाओं के लिए ₹1695.43 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
1	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी -211, गोनर रोड, दांतिली में विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊंचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	9992.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	600.00
1क	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी -211, गोनर रोड, दांतिली में विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊंचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	9992.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	3000.00
2	एलसी-70, सीतापुरा के बदले में जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	11617.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	1000.00

2क	एलसी-70, सीतापुरा के बदले में जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	11617.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	5400.00
3	एलसी-102/2ई, जहोटा के बदले जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	7657.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	600.00
3क	एलसी-102/2ई, जहोटा के बदले जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	7657.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	3000.00
4	आनंद लोक और स्वप्न लोक जेडीए योजनाओं, जयपुर से जुड़ने के लिए ब्रिज नं .107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरयूबी का निर्माण	2956.00	जेडीए, राजस्थान	आरयूबी	100.00
4क	आनंद लोक और स्वप्न लोक जेडीए योजनाओं, जयपुर से जुड़ने के लिए ब्रिज नं .107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरयूबी का निर्माण	2956.00	जेडीए, राजस्थान	आरयूबी	1200.00
5	जेडीए द्वारा जयपुर के अम्बेडकर मंडल के पास सोडाला री-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय से एलिवेटेड रोड का निर्माण	24949.00	जेडीए, राजस्थान	परिवहन	1000.00
5क	जेडीए द्वारा जयपुर के अम्बेडकर मंडल के पास सोडाला री-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय से एलिवेटेड रोड का निर्माण	24949.00	जेडीए, राजस्थान	परिवहन	8000.00
6	जयपुर, जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित	158206.00	जेडीए, राजस्थान	सीवरेज एवं जल निकासी	24000.00
6क	जयपुर, जेडीए में अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प क्षेत्रीय विकास सहित	158206.00	जेडीए, राजस्थान	सीवरेज एवं जल निकासी	40000.00
7	नोएडा और ग्रेटर नोएडा (29.707 कि.मी.) के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना	553300.00	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.	मेट्रो	24500.00
7क	नोएडा और ग्रेटर नोएडा (29.707 कि.मी.) के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना	553300.00	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.	मेट्रो	10500.00
7ख	नोएडा और ग्रेटर नोएडा (29.707 कि.मी.) के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना	553300.00	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.	मेट्रो	6000.00
7ग	नोएडा और ग्रेटर नोएडा (29.707 कि.मी.) के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना	553300.00	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.	मेट्रो	14000.00
8	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	1646.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	424.00
9	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	2024.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	506.00

9 क	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	2024.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	506.00
10	बेहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	2602.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	669.00
11	इकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	2815.00	जीएनआईडीए, उ.प्र.	सीवरेज	1545.00
12	इकोटेक-2, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	2117.00	जीएनआईडीए, उ.प्र.	सीवरेज	1236.00
13	हैथिन टाउन, पलवल जिले के लिए सीवरेज योजना और उपचार संयंत्र प्रदान करना	1230.36	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	62.96
14	पटौदी और हैली मंडी टाउन (चरण-1), गुड़गांव के लिए सीवरेज योजना और उपचार संयंत्र प्रदान करना	1272.35	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	127.00
15	एलसी -200, बास्सी टाउन, जयपुर के बदले एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	5754.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	150.00
15क	एलसी -200, बास्सी टाउन, जयपुर के बदले एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	5754.00	जेडीए, राजस्थान	आरओबी	1600.00
16	रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी डिवीजन (हैलीमांडी से पहलवास रोड, कोस्ली-गुर्यानी से पहलवास एनएच -71 दहिना जतुसन रोड) में विभिन्न सड़कें	8353.00	पीडब्ल्यूडी, हरियाणा	परिवहन	320.00
17	डेहरा (गाजियाबाद) में प्राथमिक उपचार कार्य, पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल उपचार संयंत्र और सहयोगी कार्य	12148.00	जीएनआईडीए, उ.प्र.	जलापूर्ति	5200.00
18	पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 564 में 2 लेन आरओबी	4778.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	819.00
19	पलवल जिले के पलवल बामनी खेरा हसनपुर रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 561 में 2 लेन आरओबी का निर्माण	4888.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	772.00
20	सोनीपत जिले में आईटीआई चौक से सफियाबाद गांव से सोनीपत जिले सीमा तक 2.310 से 14.800 तक मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला रोड का उन्नयन, सोनीपत	10181.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सड़क	3054.00

21	रेवारी-नारनौल रोड से रेवारी झज्जर से रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिन्द्रगढ़ रोड के माध्यम से 3 रोड सहित लिंक रोड का निर्माण आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवारी	17600.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सड़क	5280.00
23	अलवर जलापूर्ति उन्नयन परियोजना	17486.00	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	4372.00
कुल					**169542.96**

क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:

2017-18 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया ऋण	**₹ लाख में**
जलापूर्ति	11677.00
सीवरेज/ड्रेनेज	66970.96
मेट्रो कॉरीडोर	55000.00
सड़कें एवं आरओबी	35895.00
कुल	**169542.96**

(अनुमानत: ₹1695.43 करोड़)

वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की गई ऋण राशि बोर्ड की स्थापना से अब तक की अधिकतम राशि है।

घ.(i) वित्तीय संसाधन

1. वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

<u>भारत सरकार की बजटीय सहायता</u>

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - ₹50 करोड़ ।
- वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से गैर योजना अनुदान - ₹4.70 करोड़ ।

<u>आंतरिक तथा वाहय बजटीय संसाधन</u>

- आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों को दिए ऋण और बैकों में जमा धनराशि आदि पर अर्जित ब्याज - ₹369.16 करोड़ ।

- ऋण लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों द्वारा ऋण (मूल) का भुगतान - ₹354.20 करोड़ । राज्य सरकारों और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। वूसली 100% है ।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(₹ लाख में)

ब्यौरा	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
पूंजी*	50.00	1943.53***
राजस्व**	4.70	
आरआरटीएस अध्ययन हेतु अनुदान	0.34	0.34

* *अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार लेकर तथा ऋण के वापसी भुगतान और बोर्ड के अपने आतंरिक उद्भूत राशि से पूरा किया गया ।*

** *राजस्व अनुदान से अधिक राजस्व व्यय बोर्ड के आंतरिक संसाधनों से पूर्ण किए गए।*

****31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय और व्यय खाते के अनुसार। इसमें बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों/उनकी एजेंसियों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं।*

(ii) संसाधन जुटाना

घरेलू पूँजी बाजार

- वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। बोर्ड ने कॉल विकल्प का प्रयोग करके अगस्त, 2017 में ₹500 करोड़ की रकम एक सुरक्षित कर योग्य बांड(2020) श्रृंखला I का मोचन (redeem) कर के प्राप्त किए हैं। यह रकम बीआरआर से पूर्ण की गई है।
- 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड का कुल बकाया ऋण शून्य है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सीआरआईएसआईएल (CRISIL) तथा आईसीआरए (ICRA) द्वारा दी गई 'एएए' (स्टेबल आउटलुक) जारी रही। यह उच्चतम पूँजी निवेश ग्रेड रेटिंग्स है जिससे बोर्ड पूँजी बाजार से सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहूपक्षीय और द्विपक्षीय संसाधनों से निधियां जुटा सकता है।
- ब्याज के नाम पर देय सभी भुगतान निवेशकर्ताओं को समय पर दे दिये गए हैं। बोर्ड से इस विषय में कोई चूक नहीं हुई है।

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्त पोषण

<u>एशियाई विकास बैंक से ऋण (एडीबी)</u>

- एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बोर्ड को 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। भारत सरकार इस ऋण की गारंटी दी गई है । 78 मिलियन अमेरीकी डालर की पहली ट्रेंच के लिए ऋण अनुबंध पर 17 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। ट्रेंच-1 की राशि 78

मिलियन डालर में से 18 मिलियन डालर की राशि को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने ट्रेंच-1 की कुल ऋण राशि 60 मिलियन डालर का उपयोग 31.12.2014 तक कर लिया है।

- बोर्ड एडीबी को नियमित रूप से अपनी देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, एडीबी के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) $57.26 मिलियन है।

<u>जर्मन केएफडब्ल्यू द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण</u>

- केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए □100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान देने के लिए संबंधित अनुबंधों पर 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष होगा। ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 1.83% प्रति वर्ष है। मार्च, 2018 तक बोर्ड ने केएफडबलयू से □466.53 करोड़ (65.04 मिलियन यूरो) के दावे की प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) € 55.04 मिलियन (□443.76 करोड़) है।
- बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है।

(iii) लेखों का लेखा परीक्षण

- वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(iv) क्षमता विकास संबंधी प्रयास-पहल

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय और कोष प्रबंधन क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के जरिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के तहत पुस्तिकाएं और टूल किट्स तैयार की गई और व्यापक इस्तेमाल के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ये टूलकिट्स और नियम पुस्तिकाएं योजना बनाने, अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस बोर्ड, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों की कार्य क्षमता में काफी बढोतरी करेंगी और इनकी मदद से बोर्ड कारगर वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा।

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एवं उसके हितधारियो की क्षमता के विकास हेतु तकनीकी सहायता के लिए केएफडबल्यू द्वारा परामर्शदात्री कंपनी मैसर्स जीकेडब्ल्यू कन्सल्ट जीएमबीएच (पूर्व में मैसर्स लाहमेयर जीकेडब्लूकन्सल्ट, जर्मनी) का अनुमोदन तथा नियुक्ति की गई है।

ङ. नई पहल

- बोर्ड की 15.06.2016 को सम्पन्न 36वी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बोर्ड ने प्रतिभागी राज्यो/सीएमए को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली ऋण सहायता पर ब्याज़ दर घटा दी है। प्राथमिक अवसंरचना परियोजना पर ब्याज़ दर 7.50% प्रति वर्ष से घटा कर 7.00% प्रति वर्ष एवं अन्य अवसंरचना परियोजनाओं (आवासीय/औद्यौगिक/व्यावसायिक परियोजनाएँ) के लिए 8.50% प्रति वर्ष से घटा कर 7.00% प्रति वर्ष कर दी गई है।
- बोर्ड ने प्राथमिक अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की अवधि 10 वर्ष से ब़ढा़कर 15 वर्ष कर दी है जिसमें मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष का अधिस्थगन काल भी शामिल है। मेट्रो/रैपिड रेल/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए भी ऋण की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है जिसमे मूल धन की वापसी हेतु 5 वर्ष का ऋण स्थगन काल भी शामिल है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से एनसीआर में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने परियोजना लागत का 15% अनुदान रूप में देने का अनुमोदन किया है। परिवहन, जल और सेनिटेशन जैसी लंबी अवधि और कम रिटर्न वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने इन पर ब्याज दर 7.50% प्रति वर्ष कर दी है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को बढा़वा देने के लिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है एवं इन परियोजनाओं की ब्याज दर 7.50% रखी गई है।

च. प्रशासन और सतर्कता

i) प्रशासन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विंग है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	13	8
समूह 'ख'	6	6
समूह 'ग'	25	23

समूह 'घ'	7	7
कुल	**51**	**44**

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है। बोर्ड के एक अधिकारी को **अनु.जाति/अनु.जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत अल्पसंख्यक कर्मचारियों** के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ii) सतर्कता

बोर्ड कार्यालय में संयुक्त निदेशक (तक.) को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है । सभी सतर्कता संबंधित मामले एवं मुद्दे उनके द्वारा ही देखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेस को बढावा देकर सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइटwww.ncrpb.nic.inपर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं सबंधी ब्रॉशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्ते, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध है। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों, जिन्हें डाऊनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 6 जन सूचना अधिकारियों और 2 अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है। जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के ब्यौरे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्रक्रिया तैयार की गई है। आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। वर्ष 2017-18 में इस अधिनियम के तहत 122 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई । बोर्ड कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा शहरी विकास मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

v) संगठनात्मक ढ़ाँचा

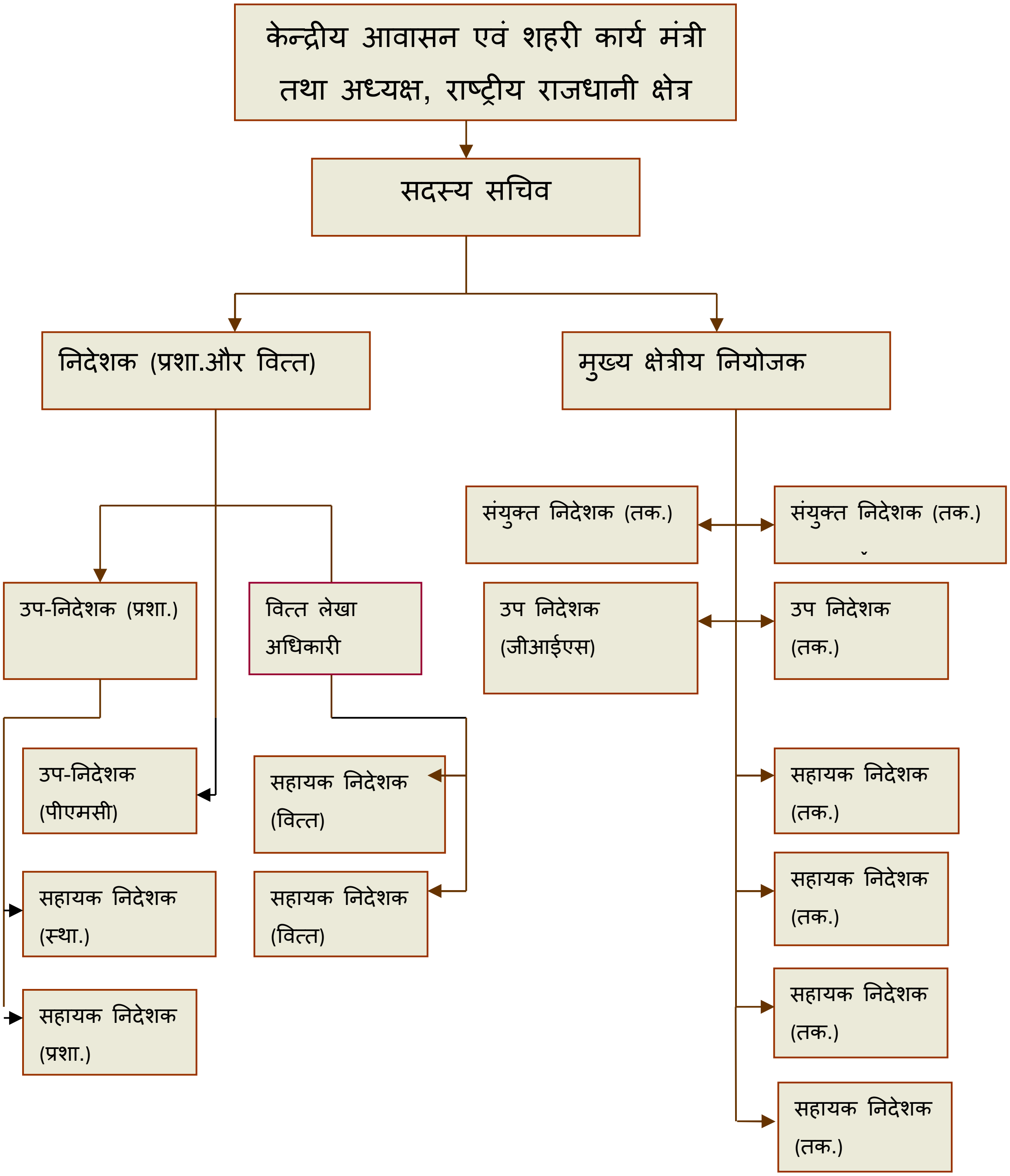
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री
तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
सदस्य सचिव
निदेशक (प्रशा.और वित्त)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
संयुक्त निदेशक (तक.)
संयुक्त निदेशक (तक.)
उप-निदेशक (प्रशा.)
वित्त लेखा अधिकारी
उप निदेशक (जीआईएस)
उप निदेशक (तक.)
उप-निदेशक (पीएमसी)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक (तक.)
सहायक निदेशक (स्था.)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक (तक.)
सहायक निदेशक (तक.)
सहायक निदेशक (प्रशा.)
सहायक निदेशक (तक.)

संगठनात्मक ढ़ाँचा जारी..........

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री बी. के त्रिपाठी	सदस्य सचिव
2.	**पद रिक्त**	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
3.	श्री सुशील पुरोहित	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
5.	श्रीमती रूचि गुप्ता	संयुक्त निदेशक (तक.)
6.	श्री पी. के. जैन	वित्त तथा लेखा अधिकारी
7.	**पद रिक्त**	उप निदेशक (प्रशा.)
8.	श्री सचिन एकनाथ सूर्यवंशी	उप निदेशक (जीआईएस)
9.	**पद रिक्त**	उप निदेशक (तक.)
10.	श्री अभिजीत सामंता	उप निदेशक (तक.)*
11.	श्री रमेश देव	उप निदेशक (तक.) *
12.	श्रीमती नीलिमा माझी	सहायक निदेशक (तक.)
13.	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
14.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (तक.)
15.	श्री सत्यबीर सिंह	सहायक निदेशक (तक.) *
16.	श्री हर्ष कालिया	सहायक निदेशक (प्रशा.)
17.	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (स्था.)
18.	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)
19.	श्री देवेंद्र कुमार	सहायक निदेशक (वित्त)

* आकलन योजना के तहत अनुदानित गैर कार्यात्मक उन्नयन